ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–1, सैक्टर– नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक :–76288 5034/ग्रे0नौ0 /कार्यालय आदेश/2022–23
11/23/2022, 12:15:19

दिनांक:23 /11 5034/2022
11/23/2022, 11:53:46

कार्यालय आदेश

प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1587/77–4–20–36एन/20 दिनांक 09 जून, 2020 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 1076/वित्त/कार्यालय–आदेश/2021–22 दिनांक 05 जनवरी, 2022 के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की एम0सी0एल0आर0 दरों के अनुसार ब्याज दर 8.50 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी, जो दिनांक 30.06.2022 तक प्रभावी थी। उक्त के क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की एम0सी0एल0आर0 दरों में परिवर्तन के दृष्टिगत प्राधिकरण में वर्तमान प्रभावी ब्याज दरों हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 48829/ग्रे0नौ0/कार्यालय–आदेश/2022–23 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के द्वारा प्राधिकरण की सभी सम्पत्तियों के समस्त देयो, जल प्रभार आदि **(बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग को छोडकर)** दिनांक 01 जुलाई, 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक निर्गत किया गया था।

वर्तमान में Writ Petition (Civil) No. 940 of 2017. Bikram Chatterji and Others Vs. Union of India & Others में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2022 में आदेश पारित किये गये, जो निम्नवत् है:–

"Consequently, the instant applications are allowed and the orders dated 10.06.2020, 19.08.2020 and 25.08.2020 are recalled, as prayed. The Noida and Greater Noida Authorities are directed to calculate the amount due in respect of builders other than Amrapali Group of companies after taking into consideration the effect of the order dated 09.06.2020 issued by the state Government."

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 09.06.2020 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा निर्देशानुसार गणना करते हुए 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को कमशः ब्याज दरों की गणना के आदेश **(बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग को छोडकर)** किया जाता रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2022 के अनुपालन में अब बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग के आवंटियों **(आम्रपाली ग्रुप ऑफ कम्पनिस को छोड़कर)** से भी शासन के आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुरूप ब्याज लिया जाना होगा, जिसकी प्रकिया निम्नवत् है:–

1. तीन वर्ष की अवधि के ऋण हेतु एस0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर प्रशासनिक व्यय 1.00 प्रतिशत को शामिल करते हुए अगले 0.5 प्रतिशत के स्तर तक Round off करते हुए ब्याज दरें लागू की जायें।
   उक्त फार्मूला के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को ब्याज दर पुर्ननिर्धारित की जायें।
2. समय से देयों के भुगतान को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्डब्याज दर 03 प्रतिशत (प्रत्येक 06 माह के कम्पाउडिंग करते हुए) लागू की जायें।
3. उपर्युक्त दर आगामी प्रभाव से ही लागू की जाये, ना कि भूतलक्षी प्रभाव सें।
4. एस0बी0आई0 पी0एल0आर0 पर आवंटित परिसम्पत्तियों के लिए उनके आवंटन पत्र/लीज डीड उल्लिखित शर्तो के अनुसार ब्याज दर देय होगा। Finance/FTS124347/2019/12 11/24/2022

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.06.2020 के कम में MCLR दरों में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2020 से दरें निम्नानुसार है:–

क्र0 स0	कार्यालय आदेश	अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत में)	डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	32316 / ग्रे0नौ0 / कार्यालय–आदेश / 2020–21 दिनांक 01.07.2020	01.07.2020 से 31.12.2020	8.50	11.50
2	4160 / ग्रे0नौ0 / कार्यालय–आदेश / 2020–21 दिनांक 15.01.2021	01.01.2021 से 30.06.2021	8.50	11.50
3	43476 / ग्रे0नौ0 / कार्यालय–आदेश / 2021–22 दिनांक 09.07.2021	01.07.2021 से 31.12.2021	8.50	11.50
4	1076 / वित्त / कार्यालय–आदेश / 2021–22 दिनांक 05.01.2022	01.01.2022 से 30.06.2022	8.50	11.50
5	48829 / ग्रे0नौ0 / कार्यालय–आदेश / 2022–23 दिनांक 11.07.2022	01.07.2022 से 31.12.2022	9.00	12.00

वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन एवं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.06.2020 के कम में अब प्राधिकरण के समस्त परिसम्पत्तियों के समान बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग पर भी ब्याज की गणना उपरोक्तानुसार की जायेगी।

01 जनवरी, 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के एम0सी0एल0आर0 के अनुसार पुनः दरें निर्धारित की जायेंगी।

Signed by
Ritu Maheshwari
CEO
23/11/22 09:03:19

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0एस0 / डी0 / पी0 / ए0 / वी0) को सूचनार्थ। 76258/76259/76260/76261/76262
2. महाप्रबन्धक (वित्त) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। 76263
3. समस्त परिसम्पत्ति विभागाध्यक्ष ( ) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी (सिस्टम) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। 76270

OSD(B)-76264/OSD(IT)-76265/OSD(INS)-76266
OSD(COMM)-76267/OSD(IND)-76268/
GM(PROP.)-76269/SYTEM - 76270

5034
मुख्य कार्यपालक अधिकारी